राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भगताराम बनाम प्रभातीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित | अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/05/2026 को पेश हो।	
18/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी के भाई रामजीवण व रिछपाल की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जमीन ग्राम चौंप, पटवार हल्का चौंप, भू.अभि.नि.क्षेत्र हरमाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। जिनके खसरा नम्बर 1386 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1387 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1405 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1408 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1409 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1411/2158 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1433 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1437 रकबा 0.11 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1456 रकबा 0.24 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1457 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1458 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1461 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1463 रकबा 0.49 हैक्टेयर, इस प्रकार कुल किता-15, कुल रकबा 4.08 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी का 1/3, रामजीवणं का 1/3 व रिछपाल का 1/3 हिस्सा निहित है। वादी व उसके भाइयों में बहमी बंटवारा हो चुका है, जिसमें खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1433 रकबा 0.12 हैक्टेयर है। बहमी बंटवारे के आधार पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी की जमीन के उत्तर दिशा की ओर प्रतिवादी के खाते व काश्त की जमीन है, जिस पर प्रतिवादी काबिज रहकर उपयोग तथा उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी के मन में फितुर समा गया है, जिस कारण प्रतिवादी वादी से आये दिन जमीन की सींव का लेकर वादी से लड़ाई झगड़ा करता रहा है तथा वादी के कब्जे काश्त की जमीन पर नाजायज कब्जा करने की नियत से सींव को तोड़कर अपने खसरा नम्बर में मिलाना चाहता है। दिनांक 07. 06.2016 को प्रतिवादी अपना ट्रेक्टर लेकर अपने बच्चे व अन्य व्यक्तियों को लेकर वादी के कब्जे काश्त की जमीन पर कब्जा करने की नियत से सींव को तोड़ने के लिए उतारू हो गया। वादी जब वहां पहुंचा तथा उनको सींव को तोड़ने हेतु मना करने पर प्रतिवादी व उसके साथ आये व्यक्ति वादी से झगड़ा करने पर	

4/26/2018

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भगताराम बनाम प्रभातीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	426/2018	

आमादा हो गये। काफी समझाईश के बाद वहां से जाने लगे, परन्तु जाते-जाते इस आशय की धमकी देकर गये कि वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1433 रकबा 0.12 हैक्टेयर की भूमि की सींव को तोड़कर रहेंगे तथा इन खसरा नम्बरान् की भूमि पर कब्जा करके रहेंगे। आपको जो भी करना हो कर लेना। इसलिये वादी को अंदेशा बना हुआ है कि प्रतिवादी मौका पाकर कभी भी वादी की कब्जे काश्त की भूमि की सींव को तोड़कर जबरन व नाजायज रूप से कब्जा कर वादी के रकबे को कम कर सकता है। इसलिये वादी अधिकारी है कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा देवें कि वादी की खातेदारी, काश्त व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1433 रकबा 0.12 हैक्टेयर के वादी के उपयोग व उपभोग में कोई मजाहत पैदा नहीं करें, वचादी की कब्जे काश्तशुदा भूमि की सींव तोड़कर किसी प्रकार का नाजायज कब्जा ना करें, ना ही उसके कब्जे काश्त के रकबे को कम करें, प्रतिवादी न तो ऐसा स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावें। इसके साथ ही वादी ने अनुतोष चाहा कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादी के खातेदारी, काश्त व कब्जे भूमि खसरा म्बर 1431 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1433 रकबा 0.12 हैक्टेय के वादी के उपयोग व उपभोग में कोई मजाहमत पैदा नहीं करें, वादी की कब्जे काश्तशुदा भूमि की सींव तोड़कर किसी प्रकार का नाजायज कब्जा ना करें, ना ही उसके कब्जे काश्त के रकबे को कम करें, प्रतिवादी न तो ऐसा स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट अचरोल में नियत कर वादी की एकपक्षीय बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 01/05/2018 पारित करते हुये प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील मय धारा-96 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत की गयी | जिस पर रेस्पो. बाद

तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि के पड़ोसी (सीव जोड़) काश्तकार/खातेदार है, ऐसेमें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने के उपरान्त रेस्पो. द्वारा की जा रही कार्यवाही से अपीलार्थी रेस्पो. द्वारा की जा रही कार्यवाही से अपीलार्थी का प्रभावित होना प्रकट हुआ है | ऐसेमें प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर अपीलार्थी को ईजाजत अपील की अनुमति प्रदान की जाती है | इसके अतिरिक्त गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं दस्तावेजात का समुचित अध्ययन किये बगैर ही एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है क्युकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नाधीन वाद में गलत वल्दियत भगताराम पुत्र स्व. श्री चौथमल अंकित कर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवा ली, जबकी वादी/रेस्पो. के पड़ोसी खातेदार जमाबन्दी अनुसार भी भगताराम पुत्र सालगा यानि अपीलार्थी है | ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गयी एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्यायोचित्त प्रतीत नही होने से निरस्तनीय जाहिर होती है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01/05/2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को पक्षकार प्रकरण समायोजित कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एवं विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 18/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |